**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3113

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**मध्याह्न भोजन योजना हेतु भोजन की आउटसोर्सिंग किया जाना**

**3113. श्री संजीव कुमारः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कितने राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) हेतु भोजन तैयार करने के कार्य को अक्षय पात्र जैसी विशेषीकृत अभिकरणों को आउटसोर्स किया गया है;

(ख) राज्यों में ऐसे कार्य करने वाले संगठनों के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या इस मॉडल में शिक्षकों तथा स्कूल के कर्मचारियों को अपने कार्य के समय में से कुछ समय विद्यार्थियों को देने की सुविधा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस को झारखंड सहित अन्य राज्यों में अपनाने के लिए विचार किया जा रहा है?

**उत्तर**

 **मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क) और (ख): मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) को राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की भागीदारी में कार्यान्वित किया जाता है। पात्र बच्चों को पका हुआ एवं पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाने का समग्र दायित्व राज्य सरकारों एवं संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का है। राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकार निर्धारित स्कूल समूह हेतु केन्द्रीकृत रसोई में भोजन तैयार करने के लिए एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों को रखती हैं। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस समय योजना के अंतर्गत 17 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एनजीओ/स्वैच्छिक संगठनों को रखा गया है। योजना के तहत रखी गई विशेष एजेंसियों का विवरण संलग्नक पर दिया गया है।

(ग) और (घ): एमडीएम दिशा-निर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि अध्यापकों को ऐसा दायित्व नहीं सौंपा जाएगा जिससे शिक्षण अधिगम बाधित या प्रभावित हो। अध्यापक की भूमिका रसोइया-सह-सहायक द्वारा तैयार किए जाने वाले मध्याह्न भोजन तथा एक विधिवत् ढंग से उसे बच्चों को परोसे जाने की निगरानी करना और परोसे जाने से पहले उसे चखना है। जैसाकि भोजन आदि छूट्टी के दौरान परोसा जाता है, अतः शिक्षण-अधिगम कार्यकलाप प्रभावित नहीं होते हैं। यह निर्णय लेना राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों पर निर्भर करता है कि क्या वे इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार जहां भी अपेक्षित हो शहरी क्षेत्रों में अपनाना पसंद करेंगे।

**\*\*\*\*\***

 **संलग्नक**

**“मध्याह्न भोजन योजना हेतु भोजन की आउटसोर्सिंग किये जाने” के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री संजीव कुमार द्वारा दिनांक 22.03.2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3113 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में संदर्भित विवरण।**

**योजना के तहत रखी गई विशिष्ट एजेंसियों का विवरण**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रं.सं.** | **एनजीओ का नाम** | **रसोईयों की संख्या**  | **कवर की गई कुल संस्थाएं** | **कवर किए गए बच्चे** | **राज्य का नाम** |
| 1 | अक्षय पात्र | 25 | 10789 | 13,00,000 | आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश |
| 2 | इस्कॉन | 22 | 5909 | 8,50,000 | आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली |
| 3 | एकता शक्ति फाउंडेशन | 12 | 2024 | 6,00,000 | बिहार |
| 4 | मन्ना ट्रस्ट (पूर्व में नन्दी फाउंडेशन) | 6 | 2159 | 2,00,000 | ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश |
| 5 | स्त्री शक्ति | 7 | 1596 | 1,50,000 | दिल्ली, गुजरात, पंजाब |
| 6 | बिश्लक्षमी क्लब | 4 | 538 | 1,00,000 | पंजाब |
| 7 | रिवार्ड्स | 9 | 371 | 1,00,000 | बिहार, छत्तीसगढ़ |
| 8 | नायक फाउंडेशन | 1 | 740 | 70,000 | महाराष्ट्र, गुजरात |
| 9 | पहल | 2 | 215 | 70,000 | छत्तीसगढ़ |
| 10 | सूर्य चैरिटेबल एवं वेलफेयर सोसायटी | 2 | 610 | 65,000 | दिल्ली, मध्य प्रदेश |
| 11 | बाल विकास एवं पर्यावरण संरक्षण संस्था | 4 | 235 | 65,000 | बिहार |
| 12 | अधम्य चेतना | 3 | 456 | 60,000 | कर्नाटक, राजस्थान |
| 13 | क्यूआरजी फाउंडेशन | 1 | 666 | 60,000 | राजस्थान |
| 14 | श्रीमती गिरिजा शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट  | 1 | 293 | 50,000 | कर्नाटक |
|   | **कुल** | **99** | **26601** | **37,40,000** |   |

*स्रोत: एडब्ल्यूपीएंडबी, 2017-18*